(7)

1873/TC
04/04/16

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3– 50/2015/18–5 भोपाल दिनांक 31/03/2016

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–अनुपपुर
2. सहायक संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश
   जिला कार्यालय अनूपपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत अनूपपुर
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   नगर पालिका परिषद अनूपपुर

विषय :–अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्र0–एफ 3–50/2015/18–5 भोपाल दिनांक 31/03/2016

प्रतिलिपि :–

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ... 515 ... 1/4/16 ... अधीक्षक ... आयुक्त

DD/TC

T.C.

04/04/16

05.4.16

ADM(M) on leave.
ADM(A)

website पर तत्काल प्रकाशन करावें।

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 31/03/2016

No. F-3-50/2015/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Anuppur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (In Hec.)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Barbaspur	305/1k	4.047 Hec.	Agriculture	Residential Conditions :- 1. It will be Mandatory to retain safe the Mango & Mahua trees exist on the land in question. 2. The land has been alloted for Atal Ashraya Scheme, so the use other than the purpose for which it has been alloted shall be prohibited.
		Total	4.047 Hec.		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Assistent Director, Town and Country Planning, Dist office Anuppur as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhaw)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Developement And
Environment Department

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 31-03/2016

क्रमांक–एफ–3–50/2015/18–5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	बरबसपुर	305/1क	4.047 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय शर्तें:– 1.प्रश्नाधीन स्थल पर विद्यमान आम एवं महुए के पेड़ो को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। 2.भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है। अतः भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है उसमें भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
		योग–	4.047 हे0		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग